

बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2022

- आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 फरवरी, 2022 को लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2022 को पेश किया। बिल संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने का प्रयास करता है जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) मानी जाने वाली जनजातियों और जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट किया गया है।
- त्रिपुरा की एसटी सूची में एक समुदाय को शामिल करना: बिल 1950 के आदेश की अनुसूची के भाग XV में संशोधन करता है जिसमें त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट किया गया है। यह त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में दरलॉग समुदाय को शामिल करता है।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।